

प्रेस नोट दिनांक 30.09.19
थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत दि० 30.09.2019 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के निर्देशन में थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुये अभियुक्त **रामऔतार पुत्र बनवारी लाल नि० बहगुलपुर थाना बिथरी चैनपुर बरेली** को अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री के साथ उसके मशकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व अर्द्धनिर्मित तमंचे बरामद किये गये। इस संबंध में थाना बिथरी चैनपुर पर मु०अ०सं० 333/19 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम बनाम रामऔतार आदि 02 नफर अभियुक्त के पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

बरामदगी:-

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. एक तमंचा तैयार देशी 12 बोर | 11. एक ड्रिल मशीन लाल पेन्ट हुयी |
| 2. एक बन्दूक बट लकड़ी | 12. तीन मैटल जराइण्डर प्लेट |
| 3. सात नाल लोहा | 13. एक ड्रिल मशीन छोटी |
| 4. तीन अधबना तमंचा | 14. एक लकड़ी के तख्ते पर कसा सिकंजा |
| 5. एक अधबना तमंचा बड़ा | 15. एक लोहा सडासी |
| 6. एक पेंच कसने की डाई | 16. तीन रिन्च, पाना छोटी-बड़ी |
| 7. छः छोटी-बड़ी रेती | 17. एक पेंचकस |
| 8. सात स्प्रिंग छोटे-बड़े | 18. एक ड्रिल रोड |
| 9. पाँच अधबने हैमर ट्रैगर | 19. एक लोहे का पाइप |
| 10. एक भट्टी धोकने वाली पंखा मशीन | 20. आठ खोखे 315 बोर |
| 21. सात खोखा कारतूस 12 बोर | 22. तीन रेगमाल के पत्ते |
| 23. एक कारतूस रखने की बेल्ट | |

नाम पता अभियुक्त गण:-

1. रामऔतार पुत्र बनवारीलाल नि० ग्राम बहगुलपुर थाना बिथरी चैनपुर बरेली उम्र 35 वर्ष (गिरफ्तार)।
2. राजपाल पुत्र बनवारीलाल नि० ग्राम बहगुलपुर थाना बिथरी चैनपुर बरेली उम्र 38 वर्ष (फरार)।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री प्रदीप कुमार - थाना बिथरी चैनपुर बरेली
2. उ०नि० श्री विजेन्द्र सिंह- थाना बिथरी चैनपुर बरेली
3. हे०का० 380 महेन्द्र सिंह- थाना बिथरी चैनपुर बरेली
4. का० 1966 राहुल कुमार- थाना बिथरी चैनपुर बरेली
5. का० 2460 मोहित कुमार - थाना बिथरी चैनपुर बरेली